न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 02/2023 (GCMS 2023/02)

अपीलांट

1. श्री खींवसिंह उर्फ खीमसिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. स्व. बदनसिंह पुत्र रणजीतसिंह के का. मु
   1/1. सुआ कंवर बेवा स्व.बदनसिंह
   1/2. तनसिंह पुत्र स्व. बदनसिंह
   1/3. गोरधनसिंह पुत्र स्व. बदनसिंह
   1/4. जबरसिंह पुत्र स्व.बदनसिंह
   1/5. जालमसिंह पुत्र स्व. बदनसिंह
   1/6. किशनसिंह पुत्र स्व. बदनसिंह
   1/7. मेहताबसिंह पुत्र स्व. बदनसिंह
   1/8. शिवदानसिंह पुत्र स्व. बदनसिंह
   1/9. रसाल कंवर पुत्री स्व. बदनसिंह
   1/10. उगम कंवर पुत्री स्व. बदनसिंह
   1/11. गुलाब कंवर पुत्री स्व. बदनसिंह
2. मनसिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. स्व.हिम्मतसिंह पुत्र सुजानसिंह के का.मु.
   3/1. नारायणसिंह पुत्र स्व. हिम्मतसिंह
   3/2. खेतुकंवर पुत्री स्व. हिम्मतसिंह
4. स्व. भैरूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के का. मु.
   4/1. दुर्गसिंह पुत्र स्व. भैरूसिंह
   4/2. परबतसिंह पुत्र स्व.भैरूसिंह
   4/3. भगवानसिंह पुत्र स्व. भैरूसिंह
   4/4. भंवर कंवर पुत्र स्व. भैरूसिंह
5. मूलकंवर बेवा हड़वन्तसिंह
6. पन्नेसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह
7. रेवंतसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह
8. चन्दनसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह
9. जोगसिंह पुत्र स्व.गोपालसिंह
10. हरचन्द्रसिंह पुत्र स्व. गोपालसिंह
11. गेनकंवर बेबा गोपालसिंह
12. पदमसिंह पुत्र स्व. कल्याणसिंह के का. मु.
   12/1. किशन कंवर बेवा पदमसिंह
   12/2. शेरसिंह पुत्र पदमसिंह
   12/3. झबरसिंह पुत्र पदमसिंह
   12/4. रूघसिंह पुत्र पदमसिंह
13. हनुमानराम
14. निम्बाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी खींवसर
15. श्रीमती सूरजकंवर पत्नी मानसिंह
16. स्व.गंगाराम के का.मु.
   16/1. देउराम
   16/2. हिम्मताराम
17. रूपाराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी जसवन्तपुरा।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 02/2023 (GCMS 2023/02)

उपस्थित :

1. श्री मोहम्मद अली, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयदीप बिस्सा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
3. ना. तहसीलदार (पैरोकार राज)

निर्णय

दिनांक 16.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नायब तहसीलदार भणियाणा के द्वारा ग्राम जसवन्तपुरा तहसील पोकरण के संयुक्त खातेदारी जोत विभाग हेतु पारित दिनांक 28.11.2001 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारन द्वारा ग्राम जसवन्तपुरा तहसील पोकरण के खाता संख्या 145 के विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी कैम्प जैमला को प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर न जाकर कैम्प जैमला में ही बंटवारा प्रस्ताव भरा जाकर अलग–अलग जोत विभाजित की गयी जिसका हाल खसरा नम्बर 311, 357, 358, 354, 355, 356 कुल रकबा 775–15 बीघा है। उक्त विभाजन होने के बाद स्व. भैरूसिंह की पत्नी अगर कंवर फौत हो चुकी है तथा अपीलाण्ट की माता एजन कंवर भी फौत हो चुकी है। उसके वारिसान अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से जोत का विभाजन किया गया है–

1. बदनसिंह पुत्र रणजीतसिंह वगैरा निवासी जसवन्तपुरा– खसरा संख्या 311 रकबा 10–00 बीघा, खसरा संख्या 358/1/1 रकबा 30–00 बीघा,खसरा संख्या 358/1/2 रकबा 37–00 बीघा, 358/1/3 रकबा 51–17 बीघा कुल रकबा 129–05 बीघा।
2. मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह निवासी जसवन्तपुरा– खसरा संख्या 311 रकबा 10–09 बीघा, खसरा संख्या 358/2/1 रकबा 36–00 बीघा, खसरा संख्या 358/2/2 रकबा 51–00 बीघा, खसरा संख्या 354 रकबा 0–08 बीघा कुल रकबा 129–06 बीघा।
3. हिम्मतसिंह पुत्र सुजानसिंह निवासी जसवन्तपुरा– खसरा संख्या 311 रकबा 10–09 बीघा, खसरा संख्या 358/4/1 रकबा 37–00 बीघा, खसरा संख्या 358/4/2 रकबा 35–00 बीघा, खसरा संख्या 358/4/3 रकबा 51–00 बीघा, खसरा नम्बर 355 रकबा 1–05 बीघा, खसरा नम्बर 356 रकबा 0–12 बीघा कुल रकबा 129–06 बीघा।
4. भैरूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह निवासी जसवन्तपुरा–खसरा नम्बर 311 रकबा 10–09 बीघा, खसरा नम्बर 358/3/1 रकबा 36–00 बीघा, खसरा नम्बर 358/3/2 रकबा 44–17 बीघा, खसरा नम्बर 352 रकबा 37–00 बीघा कुल रकबा 129–06 बीघा।
5. खींवसिंह पुत्र मगसिंह निवासी जसवन्तपुरा– खसरा नम्बर 311 रकबा 10–09 बीघा, खसरा नम्बर 358/5/1 रकबा 30–00 बीघा, खसरा नम्बर 358/5/2 रकबा 37–00 बीघा, खसरा नम्बर 358/5/3 रकबा 51–18 बीघा कुल रकबा 129–05 बीघा।

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

6. श्रीमती मूलकंवर बेवा हड़वन्तसिंह वगैरा निवासी जसवन्तपुरा– खसरा नम्बर 311 रकबा 10–08 बीघा, खसरा नम्बर 358/1 रकबा 67–00 बीघा, खसरा नम्बर 358/2 रकबा 51–17 बीघा कुल रकबा 129–05 बीघा ।
7. श्री हनुमानराम, नीम्बाराम पिसरान चुतराराम जाति जाट निवासी खींवसर –खसरा नम्बर 137/267/1 रकबा 53–16 बीघा।
8. श्री मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा –खसरा नम्बर 137/367/2 रकबा 53–17 बीघा।
9. श्री भैरूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा– खसरा नम्बर 137/367/3 रकबा 53–17 बीघा।
10. श्री भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह , बिशनसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत निवासी बालेसर –खसरा नम्बर 137/367/4 रकबा 53–16 बीघा जरिये बिकावनामा सूरजकंवर पत्नी मानसिंह।
11. श्री जोगसिंह, हरचन्दसिंह पिसरान गोपालसिंह वगैरा–खसरा नम्बर 137/367/5 रकबा 53–17 बीघा।
12. स्व.श्री गंगाराम, रूपाराम पिसरान चुनाराम जाति जाट निवासी जसवन्तपुरा –खसरा नम्बर 167/367 रकबा 53–17 बीघा। (गंगाराम फौत होने से का.मु. देउराम व हिम्मताराम)

अपीलांट का कथन है कि उक्तानुसार हल्का पटवारी द्वारा मौके के अनुसार खसरा नम्बर 311, 357 व 358 की कृषि भूमि में कब्जा काश्त व रहवास अनुसार बंटवारा प्रस्ताव नहीं बनाये जाने से स्वीकृत भूमि विभाजन अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की मौका कब्जा काश्त स्थिति एवं रहवास हेतु बने मकानात के अनुसार नहीं होने से भूमि विभाजन आदेश दिनांक 28.11.2001 अपास्त योग्य है। उक्त भूमि विभाजन आदेश से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के मकान एक–दूसरे के मध्य विभाजित भूमि में स्थित न होकर अन्य के भाग में आ गये है। खसरा नम्बर 311 में लगभग 06 बीघा भूमि में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवन्तपुरा बना हुआ है, जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि का हिस्सा है। उक्त प्रकार से भूमि विभाजन आदेश बिना मौका जॉच कर पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। अपील के सलग्न धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त जोत विभाजन आदेश की प्रथम बार जानकारी दिनांक 11.10.2022 को होने पर तहसील पोकरण में नकल कार्यवाही की गयी जो दिनांक 14.10.2022 को प्राप्त हुयी तत्पश्चात अपीलाण्ट की तबीयत अस्वस्थ होने से अपील प्रस्तुतीकरण में हुये विलंब को क्षम्य कर अपील अन्दर म्याद सुमार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांक 31.08.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि का वंटवारा मौका स्थिति के अनुसार नहीं किये जाने से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 02/2023 (GCMS 2023/02)

रहवासीय मकान एक–दूसरे की हिस्से की भूमि में आ गये है। विवादग्रस्त भूमि में सभी पक्षकारन की सहमति से विद्यालय का निर्माण करवाया हुआ है। भूमि विभाजन के दौरान उक्त विद्यालय की भूमि सभी पक्षकारन के हिस्से की भूमि में से कटौती की जानी थी, जो नहीं की गयी है। विद्यालय की भूमि का नामान्तकरण भी अलग से भरा जाना आवश्यक है। अतः आलोच्य आदेश को अपास्त कर नये सिरे से आराजी की कब्जा काश्त व रहवास मकानों की स्थिति अनुसार जोत विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में जोत विभाजन का आदेश मौके पर पैमाईश एवं कब्जा काश्त की भूमि व रहवास अनुसार नहीं किया गया है जिससे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की कब्जा काश्त भूमि एवं रहवास के मकान एक दूसरे के हिस्से में आ गये है। विवादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 311 में निर्मित विद्यालय भूमि को भी भूमि विभाजन आदेश में कम नहीं किया गया है तथा न ही विद्यालय भूमि का नामान्तकरण किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेण्ट को कोई आपति नहीं होने एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की भूमि का कब्जा काश्त व बने हुये मकानों के आधार पर नामान्तकरण पुनः नये सिरे से भरे जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि का विभाजन बिना मौका स्थिति जॉच कर किये जाने से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के रहवासीय मकानों की भूमि एक–दूसरे के हिस्से में आने के तथ्य प्रस्तुत किये गये है तथा विवादग्रस्त भूमि में पक्षकारन की सहमति से विद्यालय भूमि का रकबा कम नहीं किये जाने एवं विद्यालय भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने के तथ्य प्रस्तुत किये गये है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने में कोई आपति नहीं होना लिखित बहस में कथन करते हुए आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों एवं आधारों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भणियाणा का आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2001 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, भणियाणा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मौके व अभिलेखीय स्थिति की जॉच कर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से विधिसम्मत भूमि विभाजन आदेश पारित करें। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर